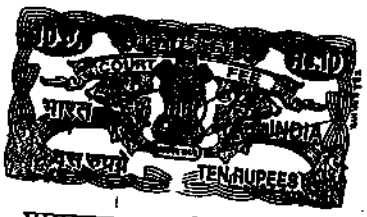

-1-

70

न्यायलय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क. /2016 निगरानी माल.

निग. 2203-I-16

1. बाबूलाल पुत्र भगरी एंव चतुरी पत्नि बाबूलाल (फौत वारिसान)

अ-वृन्दावन पुत्र स्व. श्री बाबूलाल।

ब-कमलसिंह पुत्र स्व. श्री बाबूलाल

स-फूलसिंह पुत्र स्व. श्री बाबूलाल।

द-महेन्द्रसिह पुत्र स्व. श्री बाबूलाल।

सभी जाति जाटव निवासीगण-ग्राम करोला,

तहसील व जिला मुरैना

इ-श्रीमती गीताबाई पत्नि श्री केशवसिंह पुत्री

स्व. श्री बाबूलाल निवासी भीमनगर आगरा

उ.प्र. हाल निवासी ग्राम करोला

तहसील व जिला मुरैना म0प्र0

2.मुन्नीलाल जाटव पुत्र हरिविलास जाटव,

निवासी- बलुआपुरा मोजा करोला,

परगना मुरेना म.प्र.

3-देवीराम पुत्र श्री सुखा।

4-होतम सिह पुत्र श्री सुखा

5-मालवी पुत्री सूखा पत्नी फुन्दी,

निवासीगण शिवलाल का पुरा,मौजा मोडरी,

तहसील मुरैना।

6-म.कलिया पुत्री सूखा पत्नी सुधरसिह जाटव,

निवासी उत्तमपुरा, मुरैना म0प्र0

दिनांक 4.7.16 को श्री ... द्वारा ... प्रस्तुत

4.7.16

विरूद

(1)राजवीर पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति जाटव निवासी मोतीझील जलालपुर,लश्कर, ग्वालियर म.प्र. -अनावेदक

(2) तहसीलदार मौजा करौला

(3) रा0 नि0. मौजा करौला

(4) पटवारी मौजा करोला

अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना म.प्र. प्र0 क0 55/14-15 दितिय अपील में पारित आदेश दिनॉक 30.6.16 के विरूद म.प्र. भू0 राजस्व की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी अन्दर अवधि निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

देवीराम

महेन्द्रसिह

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 2203-एक/2016 निगरानी जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-8-16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 55/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनॉक 30-6-2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 1 ने तहसीलदार मौजा करौला तहसील मुरैना के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30-6-16 में अंकित अनुसार भूमि का कब्जा वापिस दिलाये जाने की प्रार्थना की। तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण कमांक 1/261-12 अ-70 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनॉक 30-9-14 पारित कर के आवेदकगण को भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 11/2004-05 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनॉक 13-4-15 से अपील स्वीकार की गई एंव तहसीलदार का आदेश दिनांक 30-9-14 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 55/2014-15 में पारित आदेश दिनॉक 30-6-2016 से अपील स्वीकार की गई एंव अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 13-4-15 निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत हुई है। 3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों	

के तर्क सुने गये तथा आवेदकगण के अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि यह सही है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व का विवाद व्यवहार न्यायालय में चला है तथा माननीय उच्च न्यायालय तक मामला पहुंचा है किन्तु विचाराधीन प्रकरण स्वत्व के विवाद का अथवा माननीय न्यायालयों के आदशों के पालन में स्वत्व के लेख के शासकीय अभिलेख में अॅकन का नहीं है अपितु तहसील न्यायालय का मूल मामला संहिता की धारा 250 के अंतर्गत रिकार्डेड भूमिस्वामी को कब्जा दिलाये जाने वावत् है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 में प्रावधान किया गया है कि कृषक की भूमि पर किसी अन्य द्वारा कब्जा करने के दो वर्ष के भीतर पीड़ित कृषक संहिता की धारा 250 के अधीन वाद ला सकता है परन्तु तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार के समक्ष जो मूल वाद लाया गया है उसमें ऐसा कहीं भी अंकन नहीं है कि आवेदकगण द्वारा अनावेदक कमांक-1 की भूमि पर किस दिनॉक को अथवा किस वर्ष के बेजा कब्जा किया गया है, अपितु तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत धारा 250 के मूल दावे में अनावेदक क-1 ने स्वयं बताया है कि आवेदकगण ने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद वर्ष 2002 में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 मुरैना के समक्ष कमांक 50 ए/2002 प्रस्तुत किया था अर्थात वर्ष 2002 के पूर्व से वादविचारित भूमि पर आवेदकगण कब्जा किये हुये थे और माननीय व्यवहार न्यायालय से तत्सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा चाह रहे थे। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कब्जे की अवधि के सम्बन्ध में निकाला गया निष्कर्ष इन कारणों से सही निर्णय होना आभाषित है जिसके विपरीत अर्थ निकालते हुये अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनॉक 30-6-2016 अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13-4-15 को निरस्त करने में भूल की है

जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 55/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनॉक 30-6-2016 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13-4-15 के अंत में दिये गये निष्कर्ष के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उन्होंने आदेश में अंकित किया है कि तहसील न्यायालय में दो बार प्रकरण अनावेदक क-1 के अनुपस्थित रहने से अदम पैरबी में निरस्त हुआ है एंव दूसरी बार प्रकरण पुर्नस्थापित करते समय आवेदकगण को सुनवाई का कोई मौका ही नही दिया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/2011-12 अ-70 में की गई इस प्रकार की कार्यवाही दूषित प्रकिया पर आधारित रही है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने ऐसे त्रृटिपूर्ण आदेश को निरस्त करने में भूल नहीं की है अपितु अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने संहिता की धारा 250 में विहित प्रावधानों पर ध्यान न देते हुये आदेश दिनॉक 30-6-2016 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13-4-15 को निरस्त करने में त्रृटि की है जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 55/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनॉक 30-6-2016 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 55/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनॉक 30-6-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य